**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ**
**पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या : 05/2017
दायर दिनांक : 06/10/2017
निर्णय दिनांक : 18/11/2025

**उनवान**

जगदीशचंद्र बंजारा निवासी हडमतिया मृतक के बजाय
1. सुनील पिता जगदीशचंद्र बंजारा निवासी हडमतिया
2. मनोज पिता जगदीशचंद्र बंजारा निवासी हडमतिया
3. प्रेम पत्नी जगदीशचंद्र बंजारा निवासी हडमतिया

प्रार्थी

**बनाम**

1. मोहनबाई विधवा शेषमली निवासी आमेट हाल कांकरोली
2. कमलेश कुमार पिता इंद्रमल सिंघवी निवासी नाथद्वारा
3. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रार्थीगण

**राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**
**उपस्थिति :** 1. श्री बालेन्द्र कोठारी, अधिवक्ता प्रार्थी

**:: निर्णय ::**

वकील प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :

यह कि ग्राम हडमतिया तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित आ0न0 126/2 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा प्रार्थी ने विपक्षीगण से दिनांक 20.05.1985 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिए क्रय 6000 रूप्या में कब्जा कर कब्जा प्राप्त किया तब से प्रार्थी काबिज होकर फसल काश्त कर रहा है तथा उक्त आराजी इंतकाल न0 209 दिन0 27/12/85 सहायक भू प्रबंधक अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रार्थी के नाम पर दर्ज कर दी तथा इसका नोट जमाबंदी संवत 2037 से 2040 में भी लग गया था। इसके बाद गलती से नई जमाबंदी में उक्त जमीन पुनः क्रेतागण विपक्षीगण के ही नाम पर दर्ज कर दी गई व हाल पैमायश में उक्त आराजी के नए नंबर 178 रकबा 0.67 है0 बने है जो विपक्षीगण के नाम पर गलत अंकित है। उक्त जमीन प्रार्थी के नाम पर दर्ज होने से वह निश्चिंत था व हाल ही में उसने रेकार्ड देखा तब इस गलत इंद्राज की जानकारी हुई जिसकी दुरूस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अधिकार से अंकित किए जाने का आदेश प्रदान करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। वकील प्रार्थी अनुपस्थित पैरोकार सरकार ने अपने जवाब दिनांक 25.05.22 में प्रस्तुत किया है कि प्रार्थना पत्र की बिंदु संख्या 1 व 2 में प्रार्थी द्वारा बताया कि विपक्षीगण संख्या 01 व 02 को क्रेतागण होने से विपक्षी बनाया गया जबकि प्रार्थी के पक्ष में सेटलमेंट द्वारा क्रय का नामांतरण 209 दिनांक 27.12.1985 फेसल कर दिया गया तथा प्रार्थी के नाम पर भी दर्ज हो गई थी। परंतु पैमाईश समाप्त होने के बाद नई



सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:49 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी बनाते समय नाम वापस दर्ज कर दिए इसलिए विपक्षीगण 1 व 2 से कोई कार्यवाही नही चाहते है केवल विपक्षी 3 राज्य सरकार से ही कार्यवाही चाहते है। अतः विपक्षीगण 1 व 2 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जावें। प्रकरण में विपक्षीगण 1 व 2 वर्तमान में खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा धारा 136 एल आर एक्ट 1956 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जावे तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नही की जाएगी जब तक की संबंधित पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नही दे दिया गया हो या हितबद्ध पक्षकार इस प्रकार की शुद्ध किया जाना स्वीकार करें। अतः प्रकरण में विपक्षीगण 1 व 2 को सुने बिना रिकार्ड में शुद्धि नही की जा सकती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तलबी हेतु समाचार पत्र मे प्रकाशन कराया किन्तु बावजूद समाचर पत्र मे प्रकाशन के अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा की गई।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों, अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब एवं वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम हडमतिया के हाल आ0सं0 178 रकबा 0.67 है0 भूमि मे अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर पूर्वानुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Office order

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:49 IST
Reason: SelfAttested